एक नजर

बिजली कंपनी के बजट की तैयारी

इंदौर। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितर 1 कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक श्री अनूप कुमार सिंह के मार्गदर्शन में कंपनी का वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार शाम मुख्य महाप्रबंधक श्री प्रकाश सिंह चौहान, मुख्य वित्त अधिकारी श्री अजय पाल सिंह अवास्या व अन्य विभागाध्यक्षों की मौजूदगी में वरिष्ठ अधिकारियों की मिटिंग हुई।

एमडी ड्रग्स के साथ युवक पकड़ाया

इंदौर,(नप्र)। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 10 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ एक बदमाश को पकड़ा है। उसने कार के आर्म्स रेस्ट बॉक्स में ड्रग्स छिपा रखी थी। ड्रग्स की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 लाख रुपए है। टीम सोमवार रात को उसे पकड़ने पहुंची तो वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन टीम ने उसे घेराबंदी कर धरदबोचा। आरोपी से पूछताछ कर और भी जानकारी निकाली जा रही है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि टीम ने रुद्र एजेंसी बिल्डिंग के पास खाली मैदान में घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा है। दरअसल, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और उनकी गतिविधियों में संलिप्त बदमाशों के खिलाफ लगातार कार्र?वाई की जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम शहर के विभिन्न इलाकों में संदिग्धों की तलाश करती है। इस दौरान सोमवार को शहर के रुद्र एजेंसी बिल्डिंग के पास खाली मैदान में एक व्यक्ति कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा दिखा, जो पुलिस की गाड़ी को देखकर कार लेकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर रोका। उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम सूरज मिश्रा निवासी नंदबाग बताया। उस पर शंका हुई तो टीम ने उसकी तलाशी ली। जब कार की तलाशी ली तो आर्म्स रेस्ट बॉक्स में एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में 10 ग्राम एमडी ड्रग्स मिली। आरोपी के पास से 10 ग्राम ड्रग्स, एक कार और 1 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत 12 लाख 50 हजार है। आरोपी से शुरूआती पूछताछ में पता चला कि वह सस्ते में ड्रग्स खरीदकर नशे के आदी लोगों को महंगे दामों में बेचता है। आरोपी सूरज ड्राइवर का काम करता है और उसने 10 वीं क्लास तक ही पढ़ाई की है। टीम उससे पूछताछ कर ओर भी जानकारी निकाल रही है।

न्यायालय के आदेश की अवहेलना, डीएमई की मनमानी

इंदौर,(नप्र)। एनआरआई एवं अभिभावक होते रहे परेशान ,मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया में एनआरआई सीटों को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद डीएमई (डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन) पर आदेश की अवहेलना के आरोप लगे हैं। जानकारी के अनुसार न्यायालय ने पूर्व में निर्देश दिया था कि यदि एनआरआई कोटे की सीटें रिक्त हैं तो पहले पात्र एनआरआई अभ्यर्थियों को ही आवंटित की जाएं, उन्हें अनारक्षित (जनरल) श्रे ी में परिवर्तित न किया जाए। इसके बावजूद आरोप है कि उपलब्ध एनआरआई सीटों को जनरल कोटे से भर दिया गया, जिससे एनआरआई विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। प्रभावित अभ्यर्थियों का कहना है कि वे न्यायालय के आदेश के अनुपालन की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन काउंसलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई। कई अभिभावकों ने इसे प्रशासनिक मनमानी बताते हुए कहा कि स्पष्ट आदेश के बाद भी उनका पालन न होना न्याय व्यवस्था की अवहेलना है। मामले में न्यायालय ने आदेश के पालन को लेकर सुनवाई निर्धारित की है। कल इस संबंध में विस्तृत सुनवाई होगी, जिसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। उम्मीद है कि आगामी सुनवाई में न्यायालय की ओर से स्थिति स्पष्ट होने के साथ ही प्रभावित विद्यार्थियों को राहत मिल सकेगी।

जनता की बात- पुलिस के साथ पहल के तहत मोहल्ला समिति बैठक

इंदौर,(नप्र)। आमजन से बेहतर सामंजस्य और पुलिस व जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से, थाना भंवरकुआ क्षेत्रान्तर्गत इंद्रपुरी कालोनी में मोहल्ला मीटिंग व जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर संतोष कुमार सिंह के मुख्य आतिथ्य में आयोजित उक्त कार्यक्रम में अति पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री अमित सिंह, प्रभारी पुलिस उपायुक्त जोन-4 श्री कृष 1 लालचंदानी, अति पुलिस उपायुक्त अपराध राजेश डंडोतिया, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन-4 दिशेष अग्रवाल, सहायक पुलिस आयुक्त जूनी इंदौर श्री विजय चौधरी, थाना प्रभारी भंवरकुआ राजकुमार यादव सहित स्थानीय रहवासियों व छात्र-छात्राओं ने बड़ी संख्या ने भाग लेकर न केवल अपनी समस्याएँ साझा की, बल्कि कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में पुलिस का सहयोग करने का संकल्प भी व्यक्त किया।

देर रात बदमाशों ने किया हमला सीसीटीवी वीडियो आया सामने

इंदौर,(नप्र)। चंदन नगर क्षेत्र में सोमवार रात बदमाशों ने एक के बाद एक कई वाहनों के कांच फोड़ दिए। मंगलवार सुबह जब रहवासी जागे तब घटना की जानकारी सामने आई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

पुलिस के अनुसार राजनगर, रामानंद नगर, नंदन नगर, दामोदर नगर और पंचमूर्ति नगर में देर रात वाहनों को निशाना बनाया गया। करीब एक दर्जन वाहनों के कांच तोड़े गए हैं। इनमें पूर्व पार्षद राजेश चौहान की कार भी है। एक कार में ईंट भी मिली है।

डायल 112 और बीट स्टाफ मौके पर पहुंचा

सूचना के बाद डायल 112 और बीट के जवान मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात 8 बजे के बाद क्षेत्र में नशेड़ी सक्रिय हो जाते हैं। कई बार इसकी सूचना पुलिस को दी गई है।

रहवासियों के मुताबिक 15 से ज्यादा गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं, जबकि पुलिस के अनुसार चंदन नगर में 2, एरोड्रम, छत्रीपुरा और मल्हारगंज क्षेत्र में मिलाकर करीब 6 कारों के कांच तोड़े गए हैं।

ट्रैवल्स की गाड़ियां भी शामिल

पूर्व पार्षद राजेश चौहान के अलावा अंकित बहनिया, जितेंद्र धारवा और भाऊ साहब की कारें तोड़ी गई हैं। अंकित ने बताया कि वह टैक्सी के रूप में टवेरा चलाते हैं। जितेंद्र भी टैक्सी का काम करते हैं, जबकि भाऊ साहब भी इसी व्यवसाय से जुड़े हैं। अन्य प्रभावित लोगों की जानकारी उन्हें नहीं है।

राजनगर के रहने वाले प्रदीप दुबे ने बताया कि आज करीब ढाई से तीन बजे के बीच उनकी गाड़ी का कांच तोड़ दिया गया। आसपास खड़ी चार-पांच अन्य गाड़ियों के कांच भी फूटे हुए थे। सुबह उन्हें फोन पर सूचना मिली कि उनकी गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है।

उन्होंने बताया कि गाड़ी में कुछ सामान रखा था, इसलिए आशंका थी कि चोरी के इरादे से कांच तोड़ा गया होगा। हालांकि ऐसा नहीं था, सामान अंदर रखा था, सिर्फ कांच तोड़ा गया। जब वे मौके पर पहुंचे तो गाड़ी के अंदर ईंट के टुकड़े पड़े मिले। फिलहाल आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन आसपास कुछ संदिग्ध लोगों को देखे जाने की जानकारी मिली है।

गाड़िया हटी तो सड़के चौड़ी दिखी

नो पार्किंग, रॉग साइड वाहनों पर सख्त कार्यवाही की, जिम्मेदार नागरिकों ने की सराहना

इंदौर । यातायात पुलिस द्वारा चारों जोन के लिए विशेष पेट्रोलिंग टीमों द्वारा लगातार सुगम यातायात के लिए कार्यवाही की जा रही। इन टीमों का मुख्य उद्देश्य शहर के व्यस्ततम मार्गों, प्रमुख बाजार क्षेत्रों एवं यातायात दबाव वाले स्थानों पर अव्यवस्थित एवं अवैध पार्किंग पर नियंत्रण कर यातायात को सुगम बनाना है।

इसी क्रम में आज सभी पेट्रोलिंग टीमों द्वारा अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में भ्रमण कर यातायात दबाव एवं अव्यवस्थित पार्किंग की स्थिति का निरीक्षण किया गया तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई।

पेट्रोलिंग टीमों द्वारा मुख्य मार्गों, बाजारों एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सतत भ्रमण करते हुए पीए सिस्टम, बॉडी वॉर्न कैमरा, क्रेन/सपोर्ट वाहन, व्हील लॉक एवं पीओएस मशीन की सहायता से अवैध पार्किंग, फुटपाथ पर वाहन खड़े करने तथा सड़क पर वाहन खड़े कर यातायात बाधित करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। इंदौर यातायात पुलिस द्वारा शहर में यातायात व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाने हेतु यह अभियान निरंतर जारी रहेगा तथा आगामी दिनों में भी विभिन्न क्षेत्रों में विशेष पेट्रोलिंग एवं सख्त कार्यवाही लगातार की जाएगी।

हाईस्कूल का पेपर बिगड़ने पर छात्रा ने किया सुसाइड

पिता बोले-पेपर बिगड़ने से तनाव में थी

इंदौर,(नप्र)। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाईस्कूल परीक्षा में संस्कृत का पेपर बिगड़ने से तनाव में आई छात्रा ने सोमवार को सुसाइड कर लिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और पोस्ट मार्टम के बाद मंगलवार को शव परिजनों को सौंप दिया है। छात्रा के पिता ने बताया कि पिछला पेपर बिगड़ने से छात्रा तनाव में थी। वह केशव अकादमी में पढ़ती थी।

पुलिस के मुताबिक रामानंद नगर निवासी 16 वर्षीय पलक पुत्री विजय श्रीवास्तव ने अपने घर के कमरे में सोमवार शाम को फांसी लगा ली थी। घटना के समय मां और पिता काम पर गए थे और छोटी बहन स्कूल से नहीं लौटी थी। शाम को मां घर पहुंची तब घटना का पता चला। फिर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव पोस्ट मार्टम के लिए मचुर्री भेजा।

तनाव में थी छात्रा- छात्रा के पिता विजय श्रीवास्तव ने पुलिस को बताया कि पलक पिछला पेपर बिगड़ने के कारण तनाव में थी। पलक ने 19 फरवरी को संस्कृत का पेपर दिया था, जो अच्छा नहीं गया था। आज उसे गणित उसका पेपर था। टीआई तिलक करोले के मुताबिक माता-पिता के अभी पूरी तरह से बयान में यह बात सामने नहीं आ रही है। मामले की जांच की जा रही है।

20 हेलमेट वितरण कार्यक्रम में अब तक 3400 हेलमेट प्रदान

इंदौर,(नप्र)। आज पलासिया चौराहे पर पुलिस उपायुक्त राजेश कुमार त्रिपाठी की उपस्थिति में इंदौर ट्रैफिक पुलिस द्वारा 20 वाँ 'हेलमेट पहनें-सुरक्षित रहें' वृहद जागरूकता अभियान चलाया गया। अभी तक 20 हेलमेट वितरण कार्यक्रम में जरुरतमंद वाहन चालकों को 3400 हेलमेट प्रदान किए गए।

इस दौरान डीसीपी राजेश त्रिपाठी द्वारा युवा, बुजुर्ग, जरूरतमंद ऐसे वाहन चालक जिनके पास रजिस्ट्रेशन लाइसेंस दस्तावेज पूर्ण थे उन्हें हेलमेट प्रदान किए गए। ऐसे वाहन चालकों द्वारा नियमो का उल्लंघन करने पर पहले चालान किया गया फिर सुरक्षा का महत्व समझाते हुए हेलमेट भी दिया। ऐसे भी जिम्मेदार दोपहिया वाहन चालक इस अभियान में सम्मिलित हुए जो स्वेच्छा से हेलमेट लगाएं मिले, पुलिस उपायुक्त व अधिकारियों द्वारा ऐसे जिम्मेदार चालको की प्रशंसा करते हुए उन्हें सम्मान स्वरूप उपहार भी प्रदान किए गए।

सड़क सुरक्षा का महत्व समझाने के लिए यातायात पुलिस द्वारा लगातार हेलमेट जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है ताकि वाहन चालक हादसों की गम्भीरता को समझें और नियमों का पालन करें। पुलिस उपायुक्त ने वाहन चालकों से यह भी कहा कि लगातार इन्दौर शहर के सुगम, सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए आमजन मानस को जागरूक करने व सड़क सुरक्षा में उनकी सहभागिता के लिए नित नए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रमों उद्देश्य यही है कि वाहन चालक सड़क सुरक्षा नियमों की गंभीरता को समझे व स्वेच्छा से यातायात नियमों का पालन करें। इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार वाहन चालकों को आगे आना चाहिए और अन्य लोगों को भी सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना चाहिए।

पुलिस कमिश्नर ने लिया जनरल परेड व बलवा ड्रिल व्यवस्थाओं का जायजा

आरक्षक से लेकर थाना प्रभरियों व एसीपी स्तर तक के अधिकारियों ने की स्कॉट ड्रिल व कदमताल

इंदौर,(नप्र)। पुलिस की कार्यप्रणाली को और सुदृढ़ एवं प्रभावशाली बनाने एवं पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों में अनुशासन एवं उनका फिटनेस व मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से तथा आगामी होली/रंगपंचमी आदि त्यौहार एवं कानून व्यवस्था और किसी अप्रिय स्थिति में पुलिस बलवा ड्रिल सामग्री से सुसज्जित होकर हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें, इसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर संतोष कुमार सिंह के दिशा-निर्देशन में इंदौर नगरीय पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए रक्षित केन्द्र इन्दौर में आज जनरल परेड व बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया।

उक्त जनरल परेड की सलामी पुलिस आयुक्त नगरीय संतोष कुमार सिंह द्वारा ली गयी। जिसमें अति. पुलिस आयुक्त (का./व्य.) इंदौर श्री अमित सिंह की उपस्थिति में नगरीय पुलिस इंदौर के सभी पुलिस उपायुक्तगण, सभी अति पुलिस उपायुक्तगण, सभी सहायक पुलिस आयुक्तगण व थानों के थाना प्रभारीगण, रक्षित निरीक्षक सहित विभिन्न पुलिस थानों व यातायात एवं रक्षित केन्द्र के करीब 400 पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण इसमें सम्मिलित हुए। पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा परेड का अवलोकन किया गया और उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की वेशभूषा व परेड आदि को चैक किया गया। उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों सहित थाना प्रभारियों व सहायक पुलिस आयुक्तगण ने भी स्कॉट ड्रिल, कदमताल आदि का अभ्यास किया गया।

युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत

इंदौर,(नप्र)। हीरानगर थाना क्षेत्र में रहने वाले 23 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक युवक को अचानक बेचैनी और घबराहट हुई, जिसके बाद उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक तौर पर साइलेंट हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामला जांच में लिया है।

पुलिस के अनुसार रजत (23) पुत्र रमेश शर्मा निवासी शारदा नगर सोमवार दोपहर घर पर ही था। परिजनों ने बताया कि दोपहर में वह कुछ देर के लिए बाहर गया था। लौटने के बाद वह लेट गया और मां से कहा कि उसे बेचैनी हो रही है और ठीक नहीं लग रहा। उसने एसीटीडी (गैस) जैसी परेशानी की बात भी कही।

गैस की दवा लेने से भी नहीं मिला आराम- पिता ने उसे गैस की दवा दे दी और खुद कोल्ड ड्रिंक लेने बाहर चले गए। इसी दौरान रजत की हालत अचानक बिगड़ गई और वह मां की गोद में अचेत हो गया। घबराए परिजन उसे तत्काल नजदीकी निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

बीफार्मा के स्टूडेंट की हादसे में मौत

इंदौर,(नप्र)। खुडैल रोड पर सोमवार दोपहर हुए सड़क हादसे में बीफार्मा के एक छात्र की मौत हो गई। देवगुराडिया रोड पर एक ट्राले ने बाइक को टक्कर मार दी। घायल छात्र को एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों ने ट्राला चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील भिचौलीहप्सी, जिला इन्दौर

प्रशासनिक संकुल कक्ष कर्मांक-जी-8
क्रमांक/2181 / रीडर/2025-26
इन्दौर, दिनांक : 16/02/2026
प्रकरण क्रमांक-1517/अ-6/2025-26

- उद्घोषणा -

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक/क्रेता मनोज पिलानिया पिता सुरेश पिलानिया पता 57 विष्णुपुरी एनेक्स इंदौर (मप्र) ने पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम मोरेदनेहरू तहसील बिचौली हप्सी व जिला इंदौर स्थित सर्वे नंबर 359/2 पैकि रकबा 0.022 हे. भूमि पर अनावेदक/विक्रेता सल्लसांई कृपा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित पता 318 प्रोफेसर कालोनी, इंदौर तर्फे अध्यक्ष माधवदास पिता फेरूमल जी ठिकाना 318 प्रोफेसर कालोनी इंदौर के स्थान पर आवेदक/क्रेत का नामांतरण हेतु आवेदन पेश किया। अतः उक्त के संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को आपत्ति हो वह दिनांक 02/03/26 तक अपनी आपत्ति स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से तहसील न्यायालय में उपस्थित प्रस्तुत कर सकता है। अवधि समाप्त होने के उपरांत प्राप्त आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा। आज दिनांक 16/02/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी।
मो.नं.9934148149

नायब तहसीलदार
तहसील भिचौलीहप्सी, इन्दौर

कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक/677/का.से./2026 :: विज्ञप्ति :: इन्दौर दिनांक 23/02/2026

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और उसके अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के अधीन एतद् द्वारा ग्राम- रिछाबर्डी, तहसील- डॉ. अंबेडकर नगर, (महू) जिला-इंदौर में आवासीय भूखण्डीय विकास प्रयोजन हेतु कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा दी जाती है :-

अ. क्रं.	कॉलोनाईजर का नाम व पता	स्थान जहां के लिए विकास अनुमति जारी की गई है	धरोहर के रूप में बंधक रखे गये भूखंडों का विवरण
1	2	3	4
1	आवेदक शंखघर रियलकॉन प्रा.लि. तर्फे डायरेक्टर 1. श्री विवेक जोशी पिता श्री सुभाषचंद्र जोशी सिंघल 2. श्री विनित जोशी पिता श्री सुभाषचंद्र जोशी पताः-ऑफिस नं. 01, काशी बाग कॉलोनी, एन. ए.धार (म.प्र.) कालोनी का नाम SHREENATH PARADISE ONE	ग्राम-रिछाबर्डी, तहसील-डॉ. आम्बेडकर नगर, (महू), जिला-इंदौर स्थित भूमि सर्वे नंबर 41/1/6/2/1 रकबा 1.5909 हे. सर्वे नंबर 41/1/6/2/2 रकबा 0.1111 हे. कुल रकबा 1.702 हे. में से 17019.65 वर्गमीटर भूमि पर।	बंधकनामा पंजीकरण क्रं. MP7IGR17512026A100002469 इंदौर दिनांक 01.01.2026 से भूखण्ड क्रं. 49 से 76, 129 से 143 तक इस प्रकार कुल 43 भूखण्ड हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 2647.46 वर्गमीटर, भूमि बंधक रखे गये हैं।

उपरोक्त कालम नंबर-4 में उल्लेखित 43 भूखण्ड इस कार्यालय में धरोहर के रूप में बंधक रखे गये है। अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूखंडो का क्रय, विक्रय आगामी आदेश तक नही किया जावेगा।

(कलेक्टर महोदय एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेशित) **अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर**

कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक/697/अ.क.री./का.से./2026 :: विज्ञप्ति :: इन्दौर दिनांक 23/02/2026

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और उसके अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के अधीन एतद् द्वारा ग्राम- रणमल बिल्लौद तहसील-देपालपुर, जिला-इंदौर में आवासीय भूखण्डीय विकास प्रयोजन हेतु कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा दी जाती है :-

अ. क्रं.	कॉलोनाईजर का नाम व पता	स्थान जहां के लिए विकास अनुमति जारी की गई है	धरोहर के रूप में बंधक रखे गये भूखंडों का विवरण
1	2	3	4
1	आवेदक मेसर्स शाकम्भरी बिल्डर्स तर्फे पार्टनर 1. श्री यदुनंदन माहेश्वरी पिता श्री जानकीलाल जी माहेश्वरी 2. श्री सुशील कुमार खोवाल पिता श्री रतनलाल जी खोवाल पताः- 13, रतनबाग, एयरपोर्ट रोड, इन्दौर कालोनी का नाम "शाकम्भरी वैली"	ग्राम-रणमल बिल्लौद, तहसील -देपालपुर जिला-इंदौर स्थित भूमि खसरा नंबर 4/3/2/2 रकबा 0.016 हे., 5/2 रकबा 2.438 हे. कुल किता 02 कुल रकबा 2.454 हे. भूमि पर।	बंधकनामा पंजीकरण क्रमांक एमपी7आई जीआर17512025ए10112203 इंदौर दिनांक 09.12.2025 से भूखण्ड क्रं. 39 से 49 तक, 62 से 72 तक, 84 से 99 तक, 135 से 149 तक, 164, 165, 182 से 188 तक इस प्रकार कुल 62 भूखण्ड जिनका कुल क्षेत्रफल 3512.25 वर्गमीटर है, बंधक रखे गये है।

उपरोक्त कालम नंबर-4 में उल्लेखित 62 भूखण्ड इस कार्यालय में धरोहर के रूप में बंधक रखे गये है। अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूखंडो का क्रय, विक्रय आगामी आदेश तक नही किया जावेगा।

(कलेक्टर महोदय एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेशित) **अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर**

कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक/701/का.से./2026 :: विज्ञप्ति :: इन्दौर, दिनांकः- 23/02/2026

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और उसके अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के अधीन एतद् द्वारा ग्राम- मांगलिया सड़क, तहसील-सांवेर, जिला-इंदौर में आवासीय भूखण्डीय विकास प्रयोजन हेतु कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा दी जाती है :-

अ. क्रं.	कॉलोनाईजर का नाम व पता	स्थान जहां के लिए विकास अनुमति जारी की गई है	धरोहर के रूप में बंधक रखे गये भूखंडों का विवरण
1	2	3	4
1	भूमिस्वामी 1. श्री भारत पटेल पिता श्री रामेश्वर पटेल 2. श्री अनिरूद्ध पटेल पिता श्री भारत पटेल 3. श्री रितिक पटेल पिता श्री भारत पटेल तर्फे विकासकर्ता मेसर्स विजय बाबुलाल जैन रियल ईस्टेट तर्फे श्री विजय जैन पिता श्री बाबुलाल जैन पताः-5-6, मोरसली गली, इन्दौर (म.प्र.) कालोनी का नाम "JAIN DIWAKAR KESARIYA JI"	ग्राम-मांगलिया संड़क, तहसील-सांवेर, जिला-इन्दौर स्थित भूमि सर्वे नंबर 296/1/1/1 नंबर 296/2/1/1 रकबा रकबा 0.2650 हे., सर्वे 0.1444 हे., सर्वे नंबर 296/1/2/1/1 रकबा 1.6175 हे कुल रकबा 2.0269 हे. में से 2.0264 हे. भूमि पर।	बंधकनामा पंजीकरण क्रं. MP7IGR17512025A10070 5043 इंदौर दिनांक 08. 08.2025 से भूखण्ड क्रं. 9 से 23 (15 भूखण्ड), 60 से 62 (3 भूखण्ड), 90 से 98 (9 भूखण्ड) एवं 117 से 125 (9 भूखण्ड) इस प्रकार कुल 36 भूखण्ड है जिसका कुल क्षेत्रफल 3120.50 वर्गमीटर, भूमि बंधक रखे गए हैं।

उपरोक्त कालम नंबर-4 में उल्लेखित 36 भूखंड इस कार्यालय में धरोहर के रूप में बंधक रखे गये है। अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूखंडो का क्रय, विक्रय आगामी आदेश तक नही किया जावेगा।

(कलेक्टर महोदय एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेशित) **अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर**

कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक/681/का.से./2026 :: विज्ञप्ति :: इन्दौर, दिनांकः- 23/02/2026

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और उसके अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के अधीन एतद् द्वारा ग्राम-कोदरिया, तहसील-डॉ. अंबेडकर नगर (महू), जिला-इंदौर में आवासीय भूखण्डीय विकास प्रयोजन हेतु कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा दी जाती है :-

अ. क्रं.	कॉलोनाईजर का नाम व पता	स्थान जहां के लिए विकास अनुमति जारी की	धरोहर के रूप में बंधक रखे गये भूखंडों का
1	2	3	4
1	भूमिस्वामी 1. श्री कैलाशचंद्र पिता श्री राजाराम 2. श्री सुभाषचंद्र पिता श्री राजाराम, 3. श्री कंसीलाल पिता श्री राजाराम 4. श्रीमती मिथिलेश पाटीदार पति श्री मनोज पाटीदार 5. श्रीमती सुनीता पाटीदार पति श्री संतोष पाटीदार 6. श्रीमती सरस्वती पाटीदार पति श्री मदनलाल पाटीदार 7. श्री मदनलाल पाटीदार पिता श्री घासीराम पाटीदार 8. श्रीमती दुर्गा पाटीदार पति श्री दीपक पाटीदार तर्फे विकासकर्ता श्री सचिन सूर्या पिता श्री रामप्रसाद सूर्या पताः-592, रंगवासा, राऊ इन्दौर (म.प्र) कालोनी का नाम "SHRADDHA AASHRAY"	ग्राम-कोदरिया, तहसील-डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), जिला - इंदौर स्थित भूमि सर्वे नंबर 68/1 रकबा 0.097 हे., सर्वे नंबर 67/5 रकबा 0.093 हे., सर्वे नंबर 67/4 रकबा 0.092 हे, सर्वे नंबर 67/3 रकबा 0.092 हे. कुल रकबा 0.374 हे. में से मौके पर उपलब्ध रकबा 3515.51 वर्गमीटर भूमि पर।	बंधकनामा पंजीकरण क्रमांक MP7IGR17512025 A100925379 इंदौर दिनांक 13.10.2025 से भूखण्ड क्र. एसआर-1, 2, 3, 4, 23, 24, 25 इस प्रकार कुल 7 भूखण्ड है जिसका कुल क्षेत्रफल 660.62 वर्गमीटर है, बंधक रखे गये है।

उपरोक्त कालम नंबर-4 में उल्लेखित 7 भूखंड इस कार्यालय में धरोहर के रूप में बंधक रखे गये है। अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूखंडो का क्रय, विक्रय आगामी आदेश तक नही किया जावेगा।

(कलेक्टर महोदय एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेशित) **अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर**

कार्यालय ग्राम पंचायत कोहदड़
जनपद पंचायत पंधाना जिला पूर्व निमाड़ खंडवा (म.प्र.)

दिनांक 19-02-2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कोहदड़ में सार्वजनिक हॉट बाजार निलाम किया जावेगा वर्ष 2026-27 अवधि 11 माह निलामी दिनांक 25-02-2026 दिन बुधवार समय दोपहर 12 बजे से ग्राम पंचायत भवन कोहदड़

निय़म शर्ते ग्राम पंचायत में देख सकते है

सरपंच
रामेश्वर पटेल
मो. 7970131912

सचिव
सुखदेव गायकर
मो. 8989965853

कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक/689/अ.क.री./का.से./2026 :: विज्ञप्ति :: इन्दौर दिनांक 23/02/2026

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और उसके अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के अधीन एतद् द्वारा ग्राम- मुण्डलाहुसैन तहसील-सांवेर, जिला-इंदौर में आवासीय भूखण्डीय विकास प्रयोजन हेतु कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा दी जाती है :-

अ. क्रं.	कॉलोनाईजर का नाम व पता	स्थान जहां के लिए विकास अनुमति जारी की गई है	धरोहर के रूप में बंधक रखे गये भूखंडों का विवरण
1	2	3	4
1	आवेदक सिग्नेचर्स प्राईड तर्फे पार्टनर श्री संदीप अग्रवाल पिता 1. श्री नरेन्द्र अग्रवाल 2. श्री राहुल अग्रवाल पिता श्री रामदेव अग्रवाल पताः-204, शिवाय एवेन्यु, 145, जावरा कम्पाउंड, इन्दौर (म.प्र.) कालोनी का नाम "ANANADA DREAMS"	ग्राम- मुण्डलाहुसैन, तहसील-सांवेर जिला-इंदौर स्थित भूमि खसरा नंबर 77/2/1 रकबा 1.214 हे. भूमि पर।	बंधकनामा पंजीकरण क्रमांक एमपी7आईजीआर 17512025ए101115376 इंदौर दिनांक 05. 12.2025 से भूखण्ड क्रं. A-2, A-5, A-6, A-8, A-9, B-2, B-8, B-9, B-12, B-18, B-22, B-25, B-26, B-31, B-34, B-35, SR-1 से SR-4 तक, SR-16 से SR-20 तक, एवं SR-22 इस प्रकार कुल 26 भूखण्ड जिनका कुल क्षेत्रफल 2188.60 वर्गमीटर भूमि है।

उपरोक्त कालम नंबर-4 में उल्लेखित 26 भूखण्ड इस कार्यालय में धरोहर के रूप में बंधक रखे गये है। अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूखंडो का क्रय, विक्रय आगामी आदेश तक नही किया जावेगा।

(कलेक्टर महोदय एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेशित) **अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर**

पोरवाल ऑटो कॉम्पोनेंट्स लिमिटेड
CIN: L29300MP1992PLC006912
पंजीकृत कार्याल